



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 592 राँची, सोमवार, 4 कार्तिक, 1942 (श०)
26 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

13 नवम्बर, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-450/2014 का०- 5855-- श्री नीरज कुमार सिंह, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 793, गृह जिला- भागलपुर), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को दिनांक 14.04.2011 को निगरानी विभाग, झारखण्ड द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0-2121 दिनांक 26.04.2011 द्वारा श्री सिंह को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत दिनांक 14.04.2011 से हिरासत की पूरी अवधि तक के लिए निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

श्री सिंह द्वारा दिनांक 15.07.2011 को हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 18.07.2011 के पर्वान्न में विभाग में योगदान किया गया। फलतः श्री सिंह को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने की तिथि दिनांक 15.07.2011 से अगले आदेश तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-100 के अन्तर्गत विभागीय आदेश सं0-6218 दिनांक 01.10.2011 के द्वारा पुनः निलंबित किया गया।

श्री सिंह द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु एक अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-12173, दिनांक 31.10.2012 द्वारा आदेश निर्गत के तिथि से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया तथा विभाग स्तर पर श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ का गठन कर विभागीय संकल्प सं0-8223, दिनांक 19.08.2014 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-69, दिनांक 18.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष गठित किया गया-

"उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य में यह कहा गया है कि 'मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में लंबित है और निर्णय होने में विलंब की संभावना है, इस कार्यहित को ध्यान में रखते हुए श्री नीरज कुमार सिंह के बचाव बयान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा की जा सकती है।' आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अपने बचाव बयान में रखे गये तथ्य गंभीर एवं विचारणीय है। विशेष न्यायालय में लंबित वाद सं0-11/2011 में इसका विचारण होना है। ऐसी स्थिति में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध विशेष न्यायालय में लंबित वाद सं0-11/2011 में आरोप सिद्ध होने तक इस कार्यवाही में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है।"

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-10982, दिनांक 23.12.2016 एवं पत्रांक-1999, दिनांक 17.03.2020 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची से निगरानी थाना कांड सं0-09/2011, विशेष वाद सं0- 11/2011 में अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त वाद में दिनांक 17.02.2020 को श्री अजय कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II-सह-विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, साईबर वाद एवं विद्युत अधिनियम, धनबाद के न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत् है-

"That the convict namely, Neeraj Kumar Singh is hereby sentenced to undergo rigorous imprisonment for four years and also with fine of Rs. 1,00,000/- (One Lakh only) for the offence punishable u/s-7 of the Prevention and Corruption act 1988. In default of payment of fine, the convict shall undergo further simple imprisonment of six months and further sentenced to undergo rigorous imprisonment for five years and also with fine of Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty Thousand Only) for the offence punishment u/s-13(2) r/w-13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act 1988 and in default of payment of fine, the convict shall undergo further simple imprisonment of eight months. Both the sentences shall run concurrently. The period undergone in custody as under trial prisoner by the convict shall be set off against the substantive sentences awarded to the convict."

दिनांक 17.02.2020 को पारित उक्त न्यायादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में क्रिमिनल अपील (एस0जे0) सं0-210/2020 दायर किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत् है-

"Accordingly, the impugned judgement of conviction and order of sentence dated 17.02.2020, passed by the Additional Session Judge-II-cum- Special Judge, Anti Corruption Bureau, Cyber Cases and Electricity Act, Dhanbad in Special (Vigilance) Case No. 11 of 2011 being not sustainable in law is set aside and the appellant accused Neeraj Kumar Singh is acquitted of all the charges by giving him the benefit of doubt.

The appellant accused Neeraj Kumar Singh is in custody. In view of his acquittal, the appellant Neeraj Kumar Singh is directed to be released from the custody unless his detention is required in connection with any other case.

In the result, this appeal is allowed.

Let a copy of this judgement be sent to the learned court below forthwith."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.02.2020 से 22.07.2020 तक की अवधि में श्री सिंह झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत Deemed निलंबित माने जायेंगे। साथ ही, संचालित विभागीय कार्यवाही में भी संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई मंतव्य गठित नहीं कर न्यायालय के निर्णय के आधार पर विचार करने का परामर्श दिया गया। क्रिमिनल केस में ये पूर्णरूपेण आरोप मुक्त हो गये हैं।

अतः समीक्षोपरांत, निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री सिंह को इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

(ख) श्री सिंह की दिनांक 14.04.2011 से 15.07.2011 तथा पुनः दिनांक 17.02.2020 से 22.07.2020 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
